

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दारु कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 02-04-2011

क्रमांक एफ 10-5/2011/16:- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट कर्मकारों के निम्नलिखित प्रवर्गों को असंगठित कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है, अर्थात:-

क्रमांक	कर्मकारों के नाम
1.	2.
01.	धोबी
02.	दर्जी
03.	माली
04.	मोची
05.	नाई
06.	बुनकर
07.	रिक्शा चालक
08.	घरेलू कामगार
09.	कचरा बीनने वाले
10.	हाथ ठेला चलाने वाले
11.	फुटकर सब्जी, फल, फूल विक्रेता
12.	चाय, चाट ठेला लगाने वाले
13.	फुटपाथ व्यापारी
14.	हमाल, कुली, रेजा
15.	जनरेटर/लाईट उठाने वाले
16.	केटरिंग में कार्य करने वाले
17.	फेरी लगाने वाले
18.	मोटर सायकल/सायकल मरम्मत करने वाले
19.	गैरेज मजदूर
20.	परिवहन में लगे मजदूर
21.	आटो चालक
22.	सफाई कामगार
23.	ढोल/बाजा बजाने वाले
24.	टेंट हाउस में काम करने वाले
25.	वनोपज में लगे मजदूर
26.	मछुवारा
27.	दाई का काम करने वाली
28.	तांगा/बैलगाड़ी चलाने वाले
29.	तेल पेरने वाले

30.	अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाने वाले
31.	गाड़ीवान
32.	घरेलू उद्योग में लगे मजदूर
33.	भड़भूजे (मुर्दा, चना फोड़ने वाले)
34.	पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी/बतरख पालन में लगे मजदूर एवं करने वाले
35.	दुकानों में काम करने वाले मजदूर
36.	खेतीहर मजदूर
37.	राऊत, चरवाहों, दूध दुहने वाले
38.	मितानीन
39.	नांव चलाने वाले (नाविक)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(के.डी. कुंजाम)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

रायपुर दिनांक 02-04-2011

पृष्ठांकन क्र. एफ 10-5/2011/16

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)
4. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
5. सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी,.....(छ.ग.)
7. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, (छ.ग.)
8. उप संचालक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित । कृपया राजपत्र की 100 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग